सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 88/10 **निर्णय दिनांकः– 30–08–2019**

1. मंजूर खॉ पुत्र उमरबड़ा जाति मुसलमान निवासी चक 5 पीबी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 30–07–2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय दिनांक 30–07–2008 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पूगल के ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 228/183 एवं खसरा नम्बर 195/2 की 25 बीघा भूमि अपीलांट के पिता उमरबड़ा की संवत् 2012 से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि हैं जिस पर अपीलांट् के पिता तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट् का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 14 डीडी के

मुरब्बा नम्बर 70/18 के किला नम्बर 16, 24, 25 में 03 बीघा, मुरब्बा नम्बर 70/26 के किला नम्बर 1 ता 3, 3 ता 9, 11 ता 24, 18 ता 22 में 15 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 70/19 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 में 07 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट/वादी के धारण की उक्त भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व से उसके पिता के व वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। जोकि सवंत् 2035 तक अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड रही। सवंत् 2035 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किये जाने पर अदालत मातहत के समक्ष धोषणात्मक वाद पेश किया था जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 88, 89, के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि ग्राम राणीसर के खसरा नम्बर 228/183 एवं खसरा नम्बर 195/2 की 25 बीघा भूमि अपीलांट के पिता उमरबड़ा की संवत् 2012 से पूर्व की कब्जे काश्त की भूमि हैं जिस पर अपीलांट् के पिता तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलांट् का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि चकबन्दी होने पर वर्तमान में चक 14 डीडी के मुरब्बा नम्बर 70/18 के किला नम्बर 16, 24, 25 में 03 बीघा, मुरब्बा नम्बर 70/26 के किला नम्बर 1 ता 3, 3 ता 9, 11 ता 24, 18 ता 22 में 15 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 70/19 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 में 07 बीघा इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट/वादी के धारण की उक्त भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व से उसके पिता के व वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि चली आ रही है। जिसके

आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि सवंत् 2012 से पूर्व में ही अपीलांट के पिता व वर्तमान में अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रही है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील में अपीलांट को उक्त रकबा संवत् 2016 टीसी में आवंटन किया गया सही माना है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को तो सही मानते हुए यह अभिलिखित किया गया है कि आवंटन नियमों के मुताबिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, इससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि अपीलांट का आवंटन तो सही है परन्तु साथ ही यह व्याख्या कर दी गई कि धोषणात्मक वाद पेश नहीं कर सकते। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा धोषणात्मक वाद का निर्णय मात्र सरसरी तौर पर कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं स्टेट द्वाराजवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुद कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के संबंध में कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना मात्र सरसरी तौर पर पारित किया गया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ आदेश एकतरफा तौर पर व विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया हो, वहॉ मियांद के बिन्दु को दरकिनार करते हुए प्रकरण का

निस्तारण गुणावगुण व विधि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना अपरिहार्य है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट का द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—07—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 11—10—2010 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलांट एक निरक्षर ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी रखे। अपीलांट न्यायिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को शहादत का मौका दिये बिना जारी एकतरफा आदेश की जानकारी विलम्ब से प्राप्त होना स्वाभाविक है। अतः अपीलांट के मियांद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश व वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2012 से पूर्व के कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, पूगल ने जवाब पेश किया। जिसके आधार पर तनकीयात् कायम की जाकर पक्षकारों की शहादत ली जानी थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न तो तनकीयात् कायम की तथा ना ही शहादत का परीक्षण करवाया।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम राणीसर की खसरा गिरदावरी संवत् 2015 से 2017 में तत्कालीन खसरा नम्बर 12 के 24 बीधा 08 बिस्वा भूमि के कृषक के कॉलम में उमरबड़ा वल्द जगमालखॉ दर्ज है। गिरदावरी सवंत् 2018—19 में खसरा नम्बर 12 रकबा 24 बीघा 08 बिस्वा के अतिरिक्त खसरा नम्बर 228/183 का कृषक उमरबड़ा दर्ज है। यही प्रविष्ठी सवंत् 2026 तक बदस्तूर रही। गिरदावारी सवंत् 2018 से 2035 तक एक साला या दो साला आवंटन का नोट लगता रहा। तत्पश्चात् उक्त भूमि रकबाराज दर्ज कर दिया गया।

यह गांव उपनिवेशन में आने के बाद सवंत् 2061 (सन् 2004) से उमरबड़ा के पुत्र व अपीलांट मंजूर का चक 14 डीडी के मुरब्बा नम्बर 70/18, 70/19 व 70/26 के 26 बीघा रकबा पर अतिक्रमण मानकर धारा 22 के तहत नोटिस जारी किये गये। उपरोक्त दस्तावेज प्रथम दृष्टया प्रमाणित करते है कि उमरबडा टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने के वर्ष से लेकर वाद दायर करने तक विवादित आराजी पर बतौर काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहा है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया तथा ना ही सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। अपीलांट ने बहस के दौरान संवत् 2012 से 2035 तक की गिरदावरी स्लिम तथा सवंत् 2061 (वर्ष 2004) से धारा 22 की कार्यवाही के सिलसिलें में जारी नोटिस की प्रतियॉ पेश की है। उक्त दस्तावेज उपनिवेशन यिम 1975 के नियम 21 'क' तथा उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.3 (29) कोलो/86 दिनांक 26—11—2004 के तहत अपीलांट के पक्ष में कब्जाशुदा भूमि के नियमन की पात्रता का समर्थन कर रहे है।

वादी/अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन के आधार पर पुराने कब्जे काश्त का नियमन करने का भी उपनिवेान (इगानप आवंटन नियम) 1975 के नियम 21 में विशेष प्रावधान है। अपीलांट उपनिवेशन नियमों के तहत आवंटन पत्र के आधार पर कब्जे का नियमन करवाने की पात्रता रखता है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रावधानो व अपीलांट/वादी को दस्तावेजों प्रदर्शित करने का मौका दिये बिना वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने में भूल की है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—07—2008 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन की विधिकता का परीक्षण किया जाकर आवंटन के आधार पर लगातार कब्जा काश्त पाये जाने पर नियमन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 30—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर